

प्रेस नोट दिनांक 25.07.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा –

-एसपी डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना आसपुर देवसरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही ।

-हत्या/हत्या का प्रयास, लूट, गैंगस्टर, रंगदारी मांगने, आर्म्स एक्ट, एससी/एसटी एक्ट आदि में जघन्य अपराध कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग लीडर/गैंग के सदस्यों (कुल 04 अभियुक्तों) के विरुद्ध थाना आसपुर देवसरा में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत ।

-गैंग लीडर नन्दन सिंह पर जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर, रंगदारी आदि गम्भीर धाराओं में दर्ज हैं दर्जनों मुकदमें ।

-गैंग सदस्य दुर्गेश पाण्डेय पर जनपद प्रतापगढ़, जौनपुर में मारपीट/हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि में दर्ज हैं करीब एक दर्जन अभियोग ।

-गैंग सदस्य दीपक तिवारी पर हत्या, दहेज हत्या आदि गम्भीर धाराओं में थाना आसपुर देवसरा में दर्ज हैं अभियोग ।

-गैंग सदस्य दिग्विजय सिंह उर्फ भोलू सिंह पर प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ में हत्या/हत्या का प्रयास, छेड़खानी, चोरी, लूट, गैंगस्टर, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, एससी/एसटी एक्ट जैसी गम्भीर अपराधों में पंजीकृत हैं 02 दर्जन से अधिक मुकदमें ।

अभियुक्तगण अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही में अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है जिनके गैंग का लीडर है नन्दन सिंह ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा पर एक आपराधिक संगठित गिरोह के **गैंग लीडर व सदस्यों क्रमशः (गैंग लीडर) 1- नन्दन सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम विक्रमपट्टी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ व (गैंग के सदस्यों) 2- दुर्गेश पाण्डेय पुत्र स्व० रामकरन निवासी धौरहरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, 3- दीपक तिवारी उर्फ आशीष तिवारी पुत्र सालिकराम तिवारी उर्फ बब्बन तिवारी निवासी ग्राम अकारीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, 4- दिग्विजय सिंह उर्फ भोलू सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गोविन्दपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार आज दिनांक 25.07.2024 को मु०अ०सं० 204/24 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया है ।**

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं भय का आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया जा रहा है । उपरोक्त गैंग के गैंगलीडर व गैंग के सदस्यों पर जनपद व जनपद के बाहर में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, मारपीट आदि गम्भीर धाराओं में कई दर्जनों मुकदमें पंजीकृत हैं ।

इस गैंग द्वारा दिनांक 10.09.2023 को रात्रि 9.30 बजे में ग्राम अकारीपुर थाना आसपुर देवसरा निवासी एक व्यक्ति को पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तथा मृतक के पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया था । जिसके संबध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 314/23 धारा 302, 307, 504, 506, 34 भादवि पंजीकृत होकर साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूर्ण होकर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है । गैंग लीडर एवं इनके सदस्यों का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है ।

आपराधिक इतिहास –

(गैंग लीडर) नन्दन सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम विक्रमपट्टी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास –

- 1 – मु0अ0सं0- 364/15 धारा 147, 148, 323, 504, 506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 2 – मु0अ0सं0- 105/16 धारा 154ए, 504 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 3 – मु0अ0सं0- 162/16 धारा 120 बी, 393, 413 भादवि थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर ।
- 4 – मु0अ0सं0- 163/16 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर ।
- 5 – मु0अ0सं0– 274/16 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़
- 6 - मु0अ0सं0–39/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर ।
- 7 - मु0अ0सं0– 275/17 धारा 34, 392 भादवि थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर ।
- 8 – मु0अ0सं0- 411/17 धारा 386 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

9- मु0अ0सं0- 415/17 धारा 34, 302 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर ।

10 –मु0अ0सं0- 461/17 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर

11 – मु0अ0सं0- 1284/17 धारा 120 बी, 147, 148, 149, 302, 419, 420, 468, 471 भादवि थाना रामपुर जनपद जौनपुर ।

12 – मु0अ0सं0– 17/18 धारा 307 भादवि थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर ।

13 – मु0अ0सं0 – 80/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

14 – मु0अ0सं0 – 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी अधि0 थाना रामपुर जनपद जौनपुर ।

15 – मु0अ0सं0- 297/18 धारा उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी अधि0 थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर ।

16 – मु0अ0सं0- 61/20 धारा 307 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

17 – मु0अ0सं0- 62/20 धारा 307 भादवि थाना सुरियांवा जनपद भदोही ।

18 - मु0अ0सं0- 64/20 धारा 386, 507 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

19 - मु0अ0सं0- 60/20 धारा 386, 507 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

20 - मु0अ0सं0- 73/20 धारा 307 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

21 – मु0अ0सं0- 249/20 धारा 395, 413 भादवि थाना हडिया जनपद प्रयागराज ।

22 - मु0अ0सं0- 226/23 धारा 323, 307, 308, 386, 394, 504, 506 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

23- मु0अ0सं0- 314/23 धारा 302, 307,504,506, 34, 120बी भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

दुर्गेश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामकरन निवासी धौरहरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

1 – मु0अ0सं0- 182/11 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

2 – मु0अ0सं0- 346/15 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(1)5 एससी/एसटी एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

3 – मु0अ0सं0- 154/18 धारा 302 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

4 – मु0अ0सं0- 217/18 धारा 307 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

5 – मु0अ0सं0- 218/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

6 – मु0अ0सं0- 156/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

7- मु0अ0सं0- 02/22 धारा 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

8 – मु0अ0सं0- 269/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बक्सा जनपद जौनपुर।

9 – मु0अ0सं0- 314/23 धारा 302, 307, 504, 506, 34, 120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

10 – मु0अ0सं0- 192/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

दीपक तिवारी उर्फ आशीष तिवारी पुत्र सालिकराम तिवारी उर्फ बब्बन तिवारी निवासी
ग्राम अकारीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़-

1 – मु0अ0सं0- 46/15 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज हत्या अधि0 थाना
आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

2 – मु0अ0सं0- 314/23 धारा 302, 307, 504, 506, 34, 120बी भादवि थाना आसपुर
देवसरा जनपद प्रतापगढ़ । (सजायाफ्ता अभियुक्त)

दिग्विजय सिंह उर्फ भोलू सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गोविन्दपुर थाना आसपुर
देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास –

1 – मु0अ0सं0- 105/16 धारा 354ए, 504, 506 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद
प्रतापगढ़ ।

2 – मु0अ0सं0- 148/16 धारा 354ए, 504, 506 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद
प्रतापगढ़ ।

3 – मु0अ0सं0- 21/17 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(1) एससी/एसटी एक्ट थाना
आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

4 – मु0अ0सं0- 37/17 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना आसपुर देवसरा जनपद
प्रतापगढ़ ।

5 – मु0अ0सं0- 43/17 धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना चांदा
जनपद सुल्तानपुर ।

6 – मु0अ0सं0- 44/17 धारा 379 भादवि थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर ।

7 – मु0अ0सं0- 64/17 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर
।

- 8 – मु0अ0सं0- 72/17 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर ।
- 9 – मु0अ0सं0- 411/17 धारा 386 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 10 – मु0अ0सं0- 1284/17 धारा 120बी, 147, 148, 149, 302, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना रामपुर जनपद जौनपुर
- 11 – मु0अ0सं0- 17/18 धारा 307 भादवि थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर ।
- 12 – मु0अ0सं0- 80/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 13- मु0अ0सं0- 153/18 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाजविरोधी अधि0 थाना रामपुर जनपद जौनपुर ।
- 14 – मु0अ0सं0- 22/19 धारा 392 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
- 15 – मु0अ0सं0- 36/19 धारा 356, 379, 411 भादवि थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़ ।
- 16 – मु0अ0सं0- 57/19 धारा 41, 411 ,413, 414, 307, 419, 420, 467, 459, 469 भादवि थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़ ।
- 17 – मु0अ0सं0- 44/19 धारा 395, 412 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
- 18 – मु0अ0सं0- 61/19 धारा 396, 412 भादवि थाना खुटहन जनपद जौनपुर ।
- 19 – मु0अ0सं0- 61/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़ ।
- 20 – मु0अ0सं0- 83/19 धारा 392, 411 भादवि थाना बदलापुर जनपद जौनपुर ।
- 21 – मु0अ0सं0- 230/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिंधारी जनपद आजमगढ़ ।

22 – मु0अ0सं0- 375/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी अधि0 थाना खुटहन जनपद जौनपुर ।

23 – मु0अ0सं0- 61/20 धारा 307, 120बी भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

24 – मु0अ0सं0- 64/20 धारा 386, 507 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

25 – मु0अ0सं0- 66/20 धारा 386, 507 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

26 – मु0अ0सं0- 314/23 धारा 302, 307, 504,506, 34, 120बी भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

27 – मु0अ0सं0- 357/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद- प्रतापगढ़

-मारपीट/ हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

-थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी को उसके घर ग्राम बंधवा नमक शायर से गिरफ्तार किया गया ।

-धारा 191(2), 109, 115(2), 352, 351(2), 324(4), 333 बी0एन0एस0 में वांछित था अभियुक्त

प्रतापगढ़ ।

दिनांक 24.07.2024 को सुबह में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बंधवा नमक सायर(मतई) निवासी आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर जान लेने के नियत से लाठी, डण्डो से

गांव के ही पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट करने/ जान से मारने का प्रयास करने आदि आरोपों में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 255/24 धारा 191(2), 109, 115(2), 352, 351(2), 324(4), 333 बी0एन0एस0 बनाम 05 नामजद अभियुक्त को विरुद्ध पंजीकृत होकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातर दबिश दिया जा रहा है।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 25.07.2024 को थानाध्यक्ष कोतवाली देहात श्री विनीत कुमार उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री अनीश यादव मय हमराह का0 चन्द्रकेश द्वारा मु0अ0सं0 255/24 धारा 191(2), 109, 115(2), 352, 351(2), 324(4), 333 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त रंजीत सरोज पुत्र देवतादीन निवासी ग्राम बंधवा नमक सायर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ के घर दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

रंजीत सरोज पुत्र देवतादीन निवासी ग्राम बंधवा नमक सायर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 श्री अनीश यादव मय हमराह का0 चन्द्रकेश थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़

थाना पट्टी में पंजीकृत गैंगरेप के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पट्टी में नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोप में वांछित था अभियुक्त

मुकदमा में स्वाट व थाना पट्टी पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 02 शातिर आरोपियों को पूर्व में भेजा जा चुका है जेल।

मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस टीम द्वारा लगातार जारी है सख्त एक्शन

थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत नन्दईपुर बाग के पास से अभियुक्त अब्दुल कलाम उर्फ लालबाबू को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

19 जुलाई को हुई गैंगरैप की घटना की 22 जुलाई को मिली शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कारवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिये और महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दो शातिरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल। मुकदमें में वांछित चल रहे दो अन्य नामजद अभियुक्तों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही। इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2024 को 01 अन्य वांछित शातिर अभियुक्त अब्दुल कलाम उर्फ लालबाबू को आज दिनांक 25.07.2024 को गिरफ्तार किया गया।

नाबलिंग द्वारा पुलिस को बताए गये घटनाक्रम के अनुसार 19 जुलाई 2024 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कस्बा उडैयाडीह में वह मोबाइल रिपेयरिंग कराने के लिये गई थी। रास्ते में उसके परिचित एक दोस्त द्वारा घर छोड़ने के बहाने मोटर साइकिल पर बैठा लिया गया। किसी न किसी काम के बहाने से परिचित दोस्त ने कई जगह घुमाने के बाद अपने चार साथियों के साथ मिलकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना से घबराई किशोरी ने तीन दिन बाद थाना पट्टी पर दि0-22.07.2024 को तहरीर देकर आप बीती बताई। घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने त्वरित कारवाई करने के निर्देश दिये। इस प्रकरण में पीड़िता से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में 04 अभियुक्तगण वसिम खां, मकबूल, सोनू, लालबाबू के खिलाफ धारा 70(1), 351(3) बी0एन0एस0 व 5g/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। मुकदमें 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल तथा अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिया जा रहा था दबिश

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा.अनिल कुमार के निर्देश के बाद से एक्शन में चल रही पुलिस को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना पट्टी आलोक कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर धारा 70(1), 351(3) बी0एन0एस0 व 5g/6 पाक्सो एक्ट में वांछित 01 अन्य शातिर अभियुक्त अब्दुल कलाम उर्फ लाल बाबू पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम वेलसण्डी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह से जामताली रोड पर ग्राम नन्दईपुर बाग के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1- अब्दुल कलाम उर्फ लाल बाबू पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम वेलसण्डी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1- प्रभारी निरीक्षक थाना पट्टी आलोक कुमार मय हमराह उ0नि0 श्यामसुन्दर गिरी, उ0नि0 प्रशिक्षु ज्योति सविता, का0 पवन अवस्थी, का0 दीपक कुमार व चालक हे0का0 राजेश सिंह थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद- प्रतापगढ़

-पुलिस मुठभेड़ में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

-चोरी व छिनैती के उद्देश्य से रात में गाड़ी से घूमफिर कर देते थे घटना को अंजाम

-अभियुक्तों के उपर दर्ज हैं कई मुकदमें

-अभियुक्तों के कब्जे से 02 पिस्टल .32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस जिन्दा .32 बोर, 03 खोखा कारतूस .32बोर, 01 मिस कारतूस .32 बोर व 02 तमन्चा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मिस कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर 01 स्विफ्ट कार नं0 यूपी 44 जेड 4151 बरामद

-अभियुक्तों को मूतूपुर बोझी पुलिया विक्रमपुर पट्टी की तरफ सड़क से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

दिनांक 25.07.2024 की रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम दादूपुर रनसिंह की तरफ एक स्विफ्ट कार जिसमें कुछ व्यक्ति सवार हैं और उनके पास हथियार भी हैं ये लोग कोई घटना कारित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण मे टीम गठित कर चेकिंग शुरू कर दी गई। प्रभारी निरीक्षक लीलापुर नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शैलेश यादव मय हमराह थानाक्षेत्र के मत्तूपुर बोझी पुलिया विक्रमपुर पट्टी की तरफ सड़क पर कार सवार युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। इस पर कार सवार युवकों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी। पुलिस द्वारा जबावी कार्यवाही करते हुए मौके से 04 अभियुक्तों 01-सत्यम सिंह उर्फ मोंटी पुत्र सतीश सिंह नि0 नारायणपुर थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर के पास से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर, 01 अदद मिस कारतूस .32 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर व 02- अभियुक्त रौनक मिश्रा पुत्र दिलीप मिश्रा नि0 नारायणपुर थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर के पास से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, 02

अदद खोखा कारतूस .32 बोर व अभियुक्त 03- मो0 दिलदार पुत्र मो0 शानुन नि0 उदरा थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर के पास 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 मिस कारतूस 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त 04- नसीम खान पुत्र ताजिब खान नि0 मंगरा थाना रामगंज जनपद अमेठी के पास से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व स्विफ्ट कार नं0 यूपी 44 जेड 4151 बरामद किया गया।

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम चारों लोग मित्र हैं। हम लोग साथ में रहकर घूम फिर कर तमंचा व पिस्टल दिखाकर राहगीरों से चोरी व छिनैती करते हैं हम लोगों के खिलाफ मुकदमें हैं व काफी दुश्मनी है इसीलिए असल्हा को अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखते हैं।

पुलिस पर हमला और अभियुक्त से बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 300/24 धारा 109, 288 बी0एन0एस0 व धारा 3/25/27 आम्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- सत्यम सिंह उर्फ मोंटी पुत्र सतीश सिंह नि0 नारायणपुर थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर
- 2- रौनक मिश्रा पुत्र दिलीप मिश्रा नि0 नारायणपुर थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर
- 3- मो0 दिलदार पुत्र मो0 शानुन नि0 उदरा थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर
- 4-नसीम खान पुत्र ताजिब खान नि0 मंगरा थाना रामगंज जनपद अमेठी

बरामदगी- अभियुक्तों के कब्जे से 02 पिस्टल .32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस जिन्दा .32 बोर, 03 खोखा कारतूस .32बोर, 01 मिस कारतूस .32 बोर व 02 तमन्चा 315 बोर, 02

जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मिस कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर 01 स्विफ्ट कार नं0 यूपी 44 जेड 4151 बरामद किया गया ।

सत्यम सिंह उर्फ मोंटी पुत्र सतीश सिंह नि0 नारायणपुर थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 203/22 धारा 323, 34, 427, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर ।
2. मु0अ0सं0 617/19 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर ।
3. मु0अ0सं0 1000/22 धारा 307, 34, 352, 452, 504 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर

रौनक मिश्रा पुत्र दिलीप मिश्रा नि0 नारायणपुर थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 849/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर ।
2. मु0अ0सं0 997/21 धारा 323, 34, 427, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर
3. मु0अ0सं0 1000/22 धारा 307, 34, 352, 452, 504 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर

मो0 दिलदार पुत्र मो0 शानुन नि0 उदरा थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 119/20 धारा 147, 323, 354, 504, 506 भादवि व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर ।

2. मु0अ0सं0 269/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 शैलेश यादव मय हमराह कां0 विजय यादव, कां0 योगेश सिंह, कां0 राजकिशोर यादव, रात्रि अधिकारी उ0नि0 श्री इबरार खान मय हमराह हे0कां0 अजय प्रजापति, कां0 हरेन्द्र कुमार, कां0 गौरव यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

बयान- अपराध एवं अपराधियों के प्रति सरकार और शासन की शून्य सहनशीलता की नीति पर पुलिस चलने को कटिबद्ध है, अपराध किसी भी प्रकार का और किसी के भी द्वारा किया गया हो किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि कोई दुस्साहस हुआ तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

डॉ0 अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ।

थाना फतनपुर , जनपद प्रतापगढ़

हत्या करके शव को घर के आंगन में गाड़ने के मामले में फरार चल रहे 02 अभियुक्तों को पुलिस ने दबोचा

आरोपीगणों द्वारा हत्या करके घर के आंगन में शव को गाडा गया था, जिसमें पूर्व में 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को भेजा जा चुका है जेल-

-16 जून को प्रतापगढ़ के थाना फतनपुर सुवंसा क्षेत्र में हुई थी हत्या की वारदात

-हरियाणा पुलिस व थाना फतनपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी कार्यवाही

-सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था मृतक शिवनाथ गुरुग्राम में करता था नौकरी

-अभियुक्ता पूनम व उसका पति चिन्तामणि को थानाक्षेत्र फतनपुर के कतरौली पेट्रोल पम्प के पास चाय की दुकान से किया गया गिरफ्तार,

प्रतापगढ़।

अवैध प्रेम संबंधों के चलते महिला ने पति के साथ मिलकर गुरुग्राम निवासी प्रेमी युवक की प्रतापगढ़ में धारदार हथियारों से हत्या कर दी। 16 जून को हुई हत्या की वारदात में महिला की सहेली और उसका पति भी शामिल था। युवक की हत्या करने के बाद चारों अभियुक्तों ने मिलकर युवक के शव को पड़ोस में स्थित सहेली के घर के आंगन में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। युवक की गुमशुदगी के बाद जब पुलिस ने जांच करके हत्याकांड का खुलासा किया तो आरोपी महिला की निशांदाही पर युवक के शव को गुरुग्राम हरियाणा के थाना सदर और प्रतापगढ़ जनपद के थाना फतनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सहेली के घर से बरामद किया गया था। मृतक के बेटे जितेन्द्र की तहरीर पर मु0अ0सं0-151/2024 धारा 302, 201 भादवि बनाम पुष्पा आदि 04 नफर (पुष्पा पत्नी विनोद गौतम, विनोद गौतम पुत्र रामबहादुर गौतम, पूनम पत्नी चिन्तामणि व चिन्तामणि पुत्र हीरालाल) निवासीगण सुवंसा थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ पंजीकृत किया गया है । आज दिनांक 25.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिरोही मय हमराह म0उ0नि0 रेखा गौतम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के कतरौली पेट्रोल पम्प के पास चाय की दुकान से अभियुक्त चिन्तामणि गौतम (उम्र-60 वर्ष) पुत्र स्व हीरालाल गौतम व अभियुक्ता पूनम देवी (उम्र-32 वर्ष) पत्नी चिन्तामणि गौतम निवासीग्राम सुवंसा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया ।

उक्त प्रकरण के संबंध में पूर्व में दिनांक 20.07.2024 को 01 अभियुक्ता पुष्पा गौतम पत्नी विनोद कुमार गौतम निवासीग्राम सुवंसा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ व 01 अभियुक्त विनोद कुमार गौतम पुत्र रामबहादुर गौतम नि0ग्राम सुवंसा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

01. चिन्तामणि गौतम (उम्र-60 वर्ष) पुत्र स्व हीरालाल गौतम निवासीग्राम सुवंसा थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

02. पूनम देवी (उम्र-32 वर्ष) पत्नी चिन्तामणि गौतम निवासीग्राम सुवंसा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिरोही मय हमराह निरीक्षक गिरेन्द्र पाल सिंह, उ0नि0 शेषनाथ यादव, म0उ0नि0 रेखा गौतम, कां0 उपेन्द्र सिंह गुर्जर, का0 अभिषेक सिंह, का0 कुशल यादव, का0 दिनेश कुमार, म0का0 करिश्मा सरोज, म0कां0 सारिका सिंह तोमर मय चालक हे0कां0 सुरेन्द्र कुमार सिंह थाना फतनपुर पुलिस जनपद प्रतापगढ़